(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/0864 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 400/2016-17/अपील.

मलखानसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह
निवासी गिरगांव, जिला ग्वालियर, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती मुसर्रत जहां पत्नी श्रीमती मुईनउद्दीन जहां
निवासी गांधीनगर, तहसील व जिला ग्वालियर, म.प्र. .....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका मुसर्रत जहां के द्वारा तहसीलदार, मुरार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर उसके प्लाट पर से बेजाकब्जा हटाये जाने की मांग की गई। आवेदन के आधार पर तहसील न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/12-13/अ-70 दर्ज कर दिनांक 26.11.2015 को आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदक मलखान सिंह का बेजा कब्जा प्रमाणित पाये जाने पर बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरार ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 07.03.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16.11.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदिका ने ग्राम गिरगांव के सर्वे क्रमांक 210 के संबंध में कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष एक शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके प्लाट पर आवेदक ने बलपूर्वक आधिपत्य कर उसे बेदखल कर दिया है। उक्त आवेदन पत्र में न तो यह स्पष्ट किया कि अनावेदिका ने जो प्लाट क्रय किया है, वह किस स्थान पर है, क्योंकि उसके द्वारा कृषि भूमि में बिना डायवर्सन कराये भूमि क्रय की थी। इस प्रकार उक्त प्लाट का कोई ले-आउट संलग्न नहीं किया केवल अपनी मनमर्जी से विक्रय पत्र में नक्शा संलग्न कर दिया, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि अनावेदिका का प्लाट किस जगह पर है और उन्होंने शिकायती आवेदन पत्र में यह भी अंकित नहीं किया कि उन्होंने किस दिनांक को बेदखल कर आवेदक ने आधिपत्य कर लिया है, जबकि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत किस दिनांक को बेदखल कर किया गया है, इसका अंकित किया जाना आवश्यक है। यदि बेदखली का दिनांक अंकित नहीं किया गया है, तब संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है और यही तर्क आवेदक ने तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उठाये थे, परंतु तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर विचार किये बगैर जो आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की थी कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत भूमि स्वामी को ही दावा लाने का अधिकार प्राप्त है। अनावेदिका का राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में नाम अंकित नहीं है तथा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें संहिता की धारा 250 के तत्वों का होना आवश्यक है, उसका

उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं है। इस कारण से अनावेदिका द्वारा जो शिकायत आवेदन पत्र प्रसतुत किया गया है, जिसके आधार पर आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, उक्त कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं है तथा आवेदक की पत्नी का भवन वर्ष 2008 से बना हुआ है तथा उक्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। इसलिए निर्मित भवन के संबंध में धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त कार्यवाही प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य है, परंतु तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार किये बगैर आवेदक के विरूद्ध जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के लंबित रहते हुए ग्राम पटवारी से मौके की स्थिति के रिपोर्ट मंगाई गई, जिसमें ग्राम पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि उक्त भवन जिस पर आवेदक अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहा है, उक्त संपत्ति शशि जैन के भूमि स्वामी स्वत्व के प्लाट पर बना हुआ है और जिस स्थान पर आवेदक का भवन बना हुआ है, वह संपत्ति उनके द्वारा शशि जैन से क्रय की गई है। इस प्रकार ग्राम पटवारी रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हुए भी कि आवेदक द्वारा अनावेदिका के प्लाट पर कोई अवैध कब्जा कर उन्हें बेदखल नहीं किया गया है, बल्कि आवेदक की पत्नी ने अभिलिखित भूमि स्वामी शशि जैन से क्रय किया है, जिनका की राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में नाम अंकित होकर और डायवर्टिड भूमि है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि अनावेदिका का कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिंदुपर विचार किये बगैर प्रस्तुत रिकॉर्ड के विपरीत जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) ग्राम गिरगांव के सर्वे क्रमांक 210 संयुक्त खाते की भूमि है और उक्त खाते में से भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को प्लाट विक्रय किये गये हैं, जबकि उक्त भूमि का बंटवारा नहीं हुआ था और संयुक्त खाते की भूमि का विक्रय किये जाने के कारण ऐसी भूमि के संबंध में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अनावेदिका द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की थी, उनके साक्षियों द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि आवेदक ने किस दिनांक को उक्त भूमि पर अवैध कब्जा किया है तथा उक्त प्लाट किस जगह पर स्थित है। इस प्रकार अनावेदिका अपना आवेदन

पत्र सिद्ध करने में असफल रहने के बावजूद भी तीनों अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब बिंदुओं पर विचार किये बगैर जो आदेश पारित किया है, उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) अनावेदिका के अभिभाषक का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से ऐसे समवर्ती निष्कर्षों में निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अनावेदिका के अभिभाषक का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि जहां कोई आदेश समवर्ती आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत पारित किया गया हो तब निगरानी में ऐसे समवर्ती निष्कर्षों के विरूद्ध आदेश पारित किया जा सकता है। इसलिए तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि व प्रक्रिया का पालन न करते हुए पारित किये जाने के कारण आवेदक की निगरानी स्वीकार करते हुए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त तीनों के निष्कर्ष समवर्ती है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में वादित भूमि के स्वत्वके संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदक के हक में सम्पादित मुख्त्यारनामा की अवधि केवल एक वर्ष के लिये ही थी और वैसे भी ऐसे दस्तावेज से आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त प्राप्त नहीं होता है । विचारण न्यायालय ने बिना स्वत्व के वादित भूमि पर आवेदक का कब्जा बेजा कब्जा मानकर उचित आदेश पारित किया गया है और विचारण न्यायालय के आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में न्यायसंगत

कार्यवाही की गई है । अतः इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर